**वित्तीय स्वीकृति-जनपद-अमरोहा**

**संख्या-19/2018/48/52-4-18-सा(2)/2015(अमरोहा)**

**प्रेषक,**

**दीनानाथ,**

**उप सचिव,**

**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**

**उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण,**

**लखनऊ।**

**अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 02मई, 2018**

**विषय-अल्पसंख्यकों हेतु शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत जनपद-अमरोहा में बालक एवं बालिकाओं हेतु एक-एक मॉडल इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के लिए आवंटित किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1331/अ0सं0क0नि0/शै0हब/2014, दिनांक 30.06.2017 एवं पत्र संख्या-5918/अ0सं0क0नि0/शै0हब/2017, दिनांक 16.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2792/52-3-2015-सा(2)/2015(अमरोहा), दिनांक 27.11.2015 एवं शासनादेश संख्या-2230/52-3-2016-सा(2)/2015 (अमरोहा), दिनांक 23.08.2016 द्वारा जनपद-अमरोहा में दो मॉडल इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु प्रति कालेज रू0-302.00लाख की दर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0-151.00लाख प्रति कालेज की दर से जनपद के दो कालेजों के लिए प्रथम किश्त की कुल धनराशि रू0-302.00लाख अवमुक्त की गयी थी।**

http://shasanadesh.up.nic.in

**2- तद्क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब योजना हेतु रू0-2473.00लाख(रू0 दो हजार चार सौ तिहत्त्र लाख मात्र) का पूॅजीगत आय-व्ययक प्राविधान उपलब्ध कराया गया है। अत: जनपद-अमरोहा हेतु उपरोक्तानुसार स्वीकृति दो मॉडल इण्टर कालेज के लिए द्वितीय किश्त के रूप में रू0 151.00 लाख प्रति कालेज की दर से कुल रू0 302.00लाख ( रू0 तीन करोड दो लाख मात्र) की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्य पाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है:-**

**(**i**) मॉडल इण्टर कालेजों के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि जिलाधिकारी-अमरोहा के निवर्तन पर रखी जायेगी, जिसे उनके द्वारा शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।**

**(**ii**) मॉडल इण्टर कालेजों का निर्माण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मानकीकृत स्टीमेट एवं डिजाइन के अनुरूप कराया जायेगा।**

**(**iii**) निर्माण कार्यहेतु एक समयसीमा निर्धारित की जायेगी तथा निर्धारित समयसीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।**

**3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में "लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-800-अन्य व्यय-05-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुउददेशीय शैक्षणिक हब की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें" डाला जायेगा।**

**4- यह आदेश वित्तीय (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।**

**भवदीय**

**(दीनानाथ)**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या- 48(1)/52-4-18-सा(2)/15तददिनांक:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**

**2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**

**3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**

**4- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**

**5- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, अमरोहा।**

**6- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।**

**7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अमरोहा।**

**8- निदेशक, उ0प्र0 सी0 एण्ड डी0एस0, लखनऊ।**

**9- कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ।**

**10- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ।**

**11- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-11/नियोजन अनुभाग-3/अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)/बजट सहायक/गार्ड फाइल।**

**आज्ञा से,**

**(दीनानाथ)**
**उप सचिव।**

http://sirsandesh.up.nic.in